

उपायुक्त-सह-जिला दण्डाधिकारी का कार्यालय, रामगढ़।

(राजस्व शाखा)

--: अनापत्ति प्रमाण-पत्र ::--

कार्यपालक अभियंता, पथ निर्माण विभाग, पथ प्रमण्डल, बोकारो-सह-DGM, SHAJ का पत्रांक-1153 (अनु0), दिनांक-11.10.2023 के द्वारा प्राप्त अधियाचना के आलोक में निदेशानुसार कल्याण पदाधिकारी, रामगढ़ के पत्रांक-1066/क0, दिनांक-11.10.2023 से निर्गत FRA/NOC एवं दिनांक-11.10.2023 को FRA/NOC की बैठक की कार्यवाही में दिए गए निदेश के आलोक में बरलंगा-नेमरा-पिरगुल-कसमार (बहादुरपुर एन0एच0-23 पर) कसमार-खैराचातार- पश्चिम बंगाल सीमा पथ (कुल लम्बाई-27.608 कि0मी0) को 2 लेन पेव्ड सोल्डर में चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण/ पुनर्निर्माण कार्य में पड़ने वाले गैरमजरूआ जंगल-झाड़ी भूमि रकवा-8.926 एकड़ (3.6122 हे0) भूमि हेतु Deemed Forest भूमि (जंगल-झाड़ी) के संबंध में अनापत्ति प्रमाण-पत्र। गैरमजरूआ (जंगल-झाड़ी, जंगल सखुआ, जंगल इत्यादि) भूमि जो निम्नवत् है -

क्र० सं०	अंचल का नाम	मौजा	थाना संख्या	खाता संख्या	प्लॉट संख्या	रकवा (एकड़ में)	रकवा (हेक्टेयर में)	किस्म जमीन		
1	गोला	हेठबरगा	89	135	392	3.822	1.5467	गैरमजरूआ खास जंगल झाड़ी		
					424	1.412	0.5714			
					1436	0.808	0.3270			
		कुल				6.042	2.4451			
		उपरबरगा	91	149	4	1.326	0.5366			
					156	1.441	0.5832			
					1739	0.117	0.0473			
		कुल				2.884	1.1671			
		कुल रकवा (हेठबरगा + उपरबरगा)					8.926 ए०		3.6122 हे०	

प्रयोक्ता एजेन्सी चिन्हित भूमि का वनाधिकार अधिनियम, 2006 के तहत विधिवत् अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त करना सुनिश्चित करेंगे।

कुल रकवा-8.926 एकड़ (3.6122 हे0) में सन्निहित है, तथा अधिसूचित वन भूमि तथा संरक्षित वन भूमि एवं अन्य वन (Deemed Forest) आदि से बाहर है, के अपयोजन हेतु सैद्धांतिक रूप से कोई आपत्ति नहीं है, बशर्ते माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश के आलोक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के तहत पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार से पूर्वानुमति प्राप्त कर ली जाय। पूर्वानुमति प्राप्त होने के पश्चात् इसके विधिवत् हस्तांतरण हेतु प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा गैरमजरूआ भूमि के हस्तांतरण के प्रस्ताव की प्रक्रिया की तरह प्रस्ताव समर्पित किया जायेगा। गैरमजरूआ जंगल-झाड़ी (Deemed Forest) भूमि के निःशुल्क हस्तांतरण/ लीज बंदोबस्ती हेतु राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग द्वारा राज्यादेश निर्गत किया जायेगा।

जिला कल्याण पदाधिकारी,
रामगढ़।

अपर समाहर्ता,
रामगढ़।

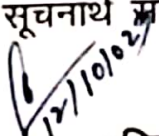
Chandan
12/10/23
उपायुक्त,
रामगढ़।

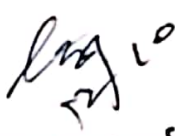
ज्ञापांक-1366/रा0, रामगढ़, दिनांक-12/10/2023

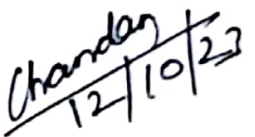
प्रतिलिपि :- अंचल अधिकारी, गोला को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :- जिला कल्याण पदाधिकारी, रामगढ़ को सूचनार्थ प्रेषित।

- प्रतिलिपि :- जिला सूचना विज्ञान पदाधिकारी, रामगढ़ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
- प्रतिलिपि :- वन प्रमण्डल पदाधिकारी, रामगढ़ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
- प्रतिलिपि :- अनुमण्डल पदाधिकारी, रामगढ़/भूमि सुधार उपसमाहर्ता, रामगढ़ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
- प्रतिलिपि :- कार्यपालक अभियंता, पथ निर्माण विभाग, पथ प्रमण्डल, बोकारो-सह-DGM, SHAJ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
- प्रतिलिपि :- आयुक्त, उत्तरी छोटानागपुर प्रमण्डल, हजारीबाग को सूचनार्थ।
- प्रतिलिपि :- सरकार के सचिव, राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ प्रेषित।


जिला कल्याण पदाधिकारी,
रामगढ़।


अपर समाहर्ता,
रामगढ़।


उपायुक्त,
रामगढ़।